न्यायालय : अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 1

राजगढ़, जिला– अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : नवीन कुमार झरवाल *(R.J.S.)*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 263 / 2023

सी.आई.एस. नम्बर : 584 / 2023

एफआईआर सं. : 110 / 2023

पुलिस थाना : राजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम रामनिवास

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 आईपीसी

भाग–1

अ

शिकायतकर्ता	जगदीश प्रसाद
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	01. रामनिवास पुत्र जगदीश उम्र 38 साल निवासी बैरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री भगवती प्रसाद मीना

ब

अपराध की तारीख	24.02.2023
एफआईआर की दिनांक	25.02.2023
चालान पेश करने की दिनांक	**15.09.2023**
आरोप लगाने की दिनांक	15.09.2023
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	प्रारंभ दिनांकः– 10.01.2024 समाप्ति दिनांकः–12.03.2026
दिनांक जिस पर	निल

निर्णय रिजर्व रखा गया	
निर्णय दिनांक	16.03.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	—

स

रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	आरोप धारा	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. के उद्देश्य के लिये अंवीक्षा के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि
1.	रामनिवास	जमानत पर है	—	**323, 341** आईपीसी	**दोषसिद्ध**	परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ	—

भाग–2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी. डब्ल्यू 01	जगदीश प्रसाद	परिवादी
पी. डब्ल्यू 02	हजारी लाल	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी. डब्ल्यू 03	अरूण कुमार	चिकित्सकीय साक्षी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण

निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी 03	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी 04	चोट प्रतिवेदन जगदीश
5	प्रदर्श पी 05	एक्सरे प्लेट

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श डी 01	161 सीआरपीसी बयान जगदीश

निर्णय **दिनांक: 16.03.2026**

01. अभियोजन पक्ष की कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी जगदीश प्रसाद ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ़ में इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 24.02.2023 को शाम के तकरीबन 5 बजे उसका लडका रामनिवास व रामनिवास की पत्नी खेलन्ती देवी व रामचरण की पत्नी प्रकाशी देवी आए और तीनों ने मिलकर रिपोर्टकर्ता के साथ मारपीट की। पुत्रवधु मनीषा देवी बीच–बचाव करने आई तो उसके साथ भी लात घूसों से मारपीट की। ये सभी लोग आये दिन परेशान करते हैं तथा खेत को जोतने नहीं देते है..... इत्यादि–इत्यादि।

इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ़ में एफ.आई.आर नं 110/2023 अन्तर्गत धारा 323, 341 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अपराध धारा **323, 341 भा.द.सं** का आरोप पत्र दिनांक 15.09.2023 को न्यायालय में पेश किया।

02. अभियुक्त को धारा **323, 341 भा.द.सं** के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं अन्वीक्षा चाही।

03. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू 01 लगायत 02 को परीक्षित करवाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी 01 लगायत 05 को प्रदर्शित करवाया गया।

बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी–01 को प्रदर्शित करवाया गया।

04. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुये साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

05. उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में बहस करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे।

06. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नही किया है। गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। अतः अभियुक्त का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नही है, दोषमुक्त किया जावे।

07. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01– क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.02.2023 को समय शाम करीब 05.00 बजे स्थान बैरेर, थाना राजगढ में परिवादी पक्ष के साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर स्वेच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित की ?

02 – आप अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी पक्ष को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध किया ?

03 – यदि हां तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

08. पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि उक्त विचारणीय बिन्दूओं को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 03 गवाहान परीक्षित करवाये गये है।

09. यह प्रकरण जगदीश प्रसाद के द्वारा पुलिस थाना राजगढ़ में दी गई रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ है।

10. जगदीश प्रसाद ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि दिनांक 24.02.2023 को शाम के तकरीबन 5 बजे उसका लडका रामनिवास व रामनिवास की पत्नी खेलन्ती देवी व रामचरण की पत्नी प्रकाशी देवी आए और तीनों ने मिलकर रिपोर्टकर्ता के

साथ मारपीट की। पुत्रवधु मनीषा देवी बीच–बचाव करने आई तो उसके साथ भी लात घूसों से मारपीट की। ये सभी लोग आये दिन परेशान करते हैं तथा खेत को जोतने नहीं देते है..... इत्यादि–इत्यादि।

11. इस रिपोर्ट को लेकर न्यायालय के समक्ष सबसे अहम गवाह जगदीश प्रसाद पी. डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जाए तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर रिपोर्ट के तमाम कथनों का दौहराव करते हुए तहरीर रिपोर्ट को प्रदर्श पी–1, चाक एफआईआर को प्रदर्श पी–2, घटनास्थल के नक्शे मौके को प्रदर्श पी–3 के रूप में प्रदर्शित कराया। साथ ही गवाह ने यह बताया कि मारपीट के उसकी कमर, दायीं कोहनी पर चोट आई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है। इन सभी फर्दात् पर गवाह के हस्ताक्षर हैं।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में गवाह ने बताया कि यह बात सही है कि स्वयं गवाह व लोकेश के खिलाफ भी मुलजिम ने थाने मे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद गवाह ने भी मारपीट करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रदर्श पी–3 पर हस्ताक्षर घर पर करवाये थे। यह बात सही है कि कई मर्तबा मुलजिम पक्ष व फरियादी पक्ष में राजीनामा हुआ है, लेकिन कोई भी राजीनामे को नहीं मानता है। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का ए से बी भाग पुलिस को गवाह ने नहीं लिखवाया।

इस प्रकार इस रिपोर्टकर्ता जगदीश की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के तमाम कथनों का दौहराव करते हुए स्वयं के साथ रामनिवास के द्वारा मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है। जिसका कोई खण्डन जिरह के दौरान पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है।

12. न्यायालय के समक्ष गवाह हजारी लाल पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि जगदीश उसका भाई है। रामनिवास ने लोकेश से अपने पैसे के हिसाब की बात कही थी, इस बात को लेकर विवाद हुआ था। राम निवास व उसकी पत्नी खेलन्ती तथा इनके अलावा प्रकाशी देवी ने जगदीश को पकडकर मारपीट की। मारपीट से जगदीश के चोटें आई थी। स्वयं गवाह व गवाह के भाई बाबूलाल ने बीच–बचाव किया था।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में जमीन जायदाद को लेकर विवाद होने का तथ्य स्पष्ट हुआ है। लेकिन मारपीट किये जाने को लेकर कोई खण्डन जिरह के दौरान पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य मारपीट को लेकर अखण्डनीय रही है।

इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान रामनिवास के द्वारा जगदीश के साथ मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है। हालांकि जिरह में गवाह से जमीन–जायदाद को लेकर

होने वाले विवाद को लेकर प्रश्न पूछे गए, लेकिन गवाह की साक्ष्य इस बात को लेकर अखण्डनीय रही है कि जगदीश के साथ रामनिवास ने मारपीट की थी।

13. प्रकरण में उक्त गवाहों के अलावा मौके के अन्य किसी गवाह को अभियोजन पक्ष ने बावजूद पर्याप्त अवसर के परीक्षित नहीं कराया है। परीक्षित उक्त गवाहों की साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि मुलजिम रामनिवास ने जगदीश के साथ थापों मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू–1 जगदीश प्रसाद की साक्ष्य के दौरान न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से पाया है कि रामनिवास ने जगदीश प्रसाद के साथ लात–घूसों से मारपीट की थी। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–2 हजारी लाल की साक्ष्य से भी न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि जगदीश के साथ रामनिवास ने थाप–मुक्कों से मारपीट की। हालांकि जिरह के दौरान छोटे–मोटे विरोधाभास जरूर पत्रावली पर प्रकट हुए हैं। लेकिन विरोधाभास तात्विक प्रकृति के नहीं है। इसलिए अभियोजन पक्ष को मौखिक साक्षियों की साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष यह साबित करना है कि रामनिवास ने जगदीश के साथ मारपीट की।

14. अब न्यायालय को देखना है कि क्या वास्तव में जगदीश के साथ मारपीट के परिणामस्वरूप चोटें आई थी या नहीं ?

इस संबंध में चिकित्सकीय साक्षी के रूप में डॉ. अरूण कुमार पी.डब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुए है। इस गवाह ने अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान बताया है कि दिनांक 28.02.2023 को एमओ के पद पर पीएचसी पाडा, रैणी में पदस्थापित थे। पुलिस प्रतिवेदन पर जगदीश के शरीर पर आई चोटों का मैडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 मुर्तिब किया था। कुल मिलाकर दो चोटें आई थी। पहली चोट खरोंचनुमा दायीं कोहनी पर 2 गुणा 0.5 सेमी थी। दूसरी चोट कमर के निचले हिस्से पर दायीं तरफ थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा 3–4 दिन की दरमियानी थी। एक्सरे भी करवाया था। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–5 है।

इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित उक्त चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो जगदीश प्रसाद का चोट प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2023 को मुर्तिब किया गया था। यह चोट प्रतिवेदन घटना के तकरीबन 4–5 दिन बाद मुर्तिब किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि जगदीश के चोट आई थी। ये चोट साधारण प्रकृति की थी तथा कुन्द हथियार से कारित की गई थी।

अतः स्पष्ट है कि मुलजिम ने जगदीश के साथ थापों–मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की। **लिहाजा धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है।**

15. जहां तक धारा 341 भा.द.सं. का संबंध है तो इस संबंध में प्रकरण का मुख्य आधार तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का अवलोकन किया जावे तो इसमें केवल

मारपीट किये जाने का अंकन है। इस बात को लेकर कोई अंकन नहीं है कि जगदीश को मुलजिम ने निश्चित् दिशा में जाने से निवारित किया। अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान गवाह पी.डब्ल्यू–1 जगदीश ने यह बताया कि मुलजिम ने उसे पकडकर लात–घूसों से मारपीट की थी। परीक्षित उक्त गवाह के साथ गवाह पी.डब्ल्यू–2 हजारी लाल ने भी इस बात का अपनी मुख्य परीक्षा में जिक्र किया है कि मुलजिम ने जगदीश को पकड लिया था।

इस प्रकार परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–1 जगदीश प्रसाद व पी.डब्ल्यू–2 हजारी लाल दोनों ने इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन अपनी साक्ष्य में किया है कि मुलजिम ने जगदीश को पकड लिया था। अर्थात् यह स्पष्ट है कि जगदीश को पकडकर मुलजिम ने निश्चित् दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया। **लिहाजा धारा 341 भा.द.सं. का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है।**

:: **आदेश ::**

16. अतः अभियुक्त **01. रामनिवास पुत्र जगदीश उम्र 38 साल निवासी बैरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **323, 341 आईपीसी** के आरोपों में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(नवीन कुमार झरवाल)

सजा के बिन्दु पर सुना गया।

17. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि भी नहीं रही है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है। परिणामतः आरोपित अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की अवस्था एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नही दिया जाकर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

18. सजा के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मुलजिम की उम्र ज्यादा नहीं है। मुलजिम की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए तथा मुलजिम को लेकर कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी अभियोजन पक्ष ने पेश नहीं किये हैं। इसलिए उक्त समस्त स्थिति को मध्यनजर

रखते हुए न्यायालय अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ देना उचित मानता है।

: : दण्डादेश : :

19. अतः अभियुक्त **01. रामनिवास पुत्र जगदीश उम्र 38 साल निवासी बैरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **323, 341 आईपीसी** में **में दोषसिद्ध** घोषित किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 4** के तहत अभियुक्त दस हजार रूपये की एक जमानत व इसी राशि का निजी मुचलका 6 माह की अवधि के लिए न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय के पेश कर तस्दीक कराने पर कि वह उक्त अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा प्राप्त करने को उपस्थित हो जावेगा।

साथ ही अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 5** के तहत अभियोजन व्यय के 600/– रूपये शब्देन छः सौ रुपये भी जमा करवायेगा।

अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437ए द0प्र0सं0 के तहत दस–दस हजार रूपये की एक जमानत व इतनी ही राशि का निजी मुचलका छः माह की अवधि के लिये न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करावें। अभियुक्त पूर्व में दोषसिद्धि नही होने के संबंध में शपथ पत्र पेश करे। अभियुक्त के नियमित पेशी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(नवीन कुमार झरवाल)

20. निर्णय आज दिनांक **16.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(नवीन कुमार झरवाल)